संख्या– 856/चौवालिस-1/1986

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्यमों/
निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशकगण।

2.शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

लखनऊः दिनांकः 7 अगस्त, 1986

विषयः– राज्य के सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के गैर–सरकारी उपाध्यक्षों को अनुमन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के सार्वजनिक उद्यमों/निगमों में कपितय गैर–सरकारी उपाध्यक्षों की नियुक्तियां की गई हैं। उक्त गैर–सरकारी उपाध्यक्षों को क्या सुविधाएं दी जायं, यह प्रकरण शासन में विचार के लिए प्राप्त हुआ। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में नियुक्त गैर–सरकारी उपाध्यक्षों को गैर–सरकारी निदेशकों के समकक्ष मानते हुए उन्हें वही सुविधाएं प्रदान की जायं जो कि शासनादेश संख्या–3451/ब्यूरो-79-80/78, दिनांक 10 अक्टूबर, 1979 द्वारा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के गैर–सरकारी निदेशकों को स्वीकृत की गई हैं।

2. यदि उपाध्यक्ष विधान मण्डल के सदस्य हों तो उक्त स्थिति में सार्वजनकि उद्यम अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–1174/चौवालिस–1/1980-80/78, दिनांक 19 मई, 1980 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा उन्हें केवल वे ही भत्ते एवं सुविधाएं आदि अनुमन्य की जायं जो समय–समय पर यथासंशोधित राज्य विधान मण्डल (अर्हता निवारण) अधिनियम–1971 के अन्तर्गत विधान मण्डल के सदस्यों को अनुमन्य हों।

3. कृपया इन आदेशों की प्राप्ति स्वीकार की जाय।

भवदीय,
(सुरेन्द्र सिंह)
सचिव।

पृष्ठ सं०– 856(1)/44-1/86 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित सचिवालय के समस्त प्रशासकीय अनुभाग।
(2) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

आज्ञा से,
आर०के० सिंह
विशेष सचिव ।